

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
पत्रांक/बे०शि०/6913-15 /2019-20

गौतमबुद्धनगर।
दिनांक 04-01-2020

कार्यालय ज्ञाप

प्रबन्धक, रेडिएन्ट अकादमी जूनियर हाई स्कूल सोहरखा ब्लाक बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर के प्रार्थना पत्र दिनांक 25.11.19 द्वारा विद्यालय की मान्यता को स्थाई करने का अनुरोध किया गया है। इस कार्यालय के पत्रांक /मान्यता/4672/2013-14 दिनांक 19.02.2014 द्वारा कक्षा नर्सरी से कक्षा 8 तक के लिए अंग्रेजी माध्यम की मान्यता दिनांक 30.06.2017 तक अनंतिम रूप से प्रदान की गयी थी। प्रमुख सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक 419/79-6-2013-18 20/91 दिनांक 08.05.2013 शिक्षा अनुभाग-6 लखनऊ दिनांक 08.05.2013 के प्रस्तर 15 में निम्नलिखित व्यवस्था दी गयी है:-

“प्रथमतया निर्धारित प्रारूप पर नियमावली में उल्लिखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धित मान्यता तीन वर्ष के लिए दी जायेगी। इस अवधि में मान्यता की शर्तों के उल्लंघन से सम्बन्धित यदि कोई प्रतिकूल तथ्य संज्ञानित नहीं होता है तो तीन वर्ष की अवधि पूर्ण होने पर यह मान लिया जायेगा कि विद्यालय को स्थाई मान्यता प्राप्त हो गयी है तथा शासनादेश संख्या 89 /अरसठ -3-2018-2041/2018, बेसिक शिक्षा अनुभाग -3 लखनऊ दिनांक 11 जनवरी 2019 के प्राविधानानित किया गया है कि एक वर्ष के पश्चात मान्यता से सम्बन्धित नियमों/शर्तों का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर०टी०आई के अनुसार विद्यालय चलते रहने पर एक वर्ष पश्चात विद्यालय को स्थायी मान्यता प्रदान कर दी जायेगी।

अतः उपरोक्त दोनों शासनादेश एवं प्रबन्धक द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ उपलब्ध कराये नवीनतम प्रपत्र एवं प्रार्थना पत्र के आधार पर रेडिएन्ट अकादमी जूनियर हाई स्कूल सोहरखा ब्लाक बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर जिसका मान्यता कोड संख्याक जी०जे०एच०एस०-65 है, की मान्यता को शासनादेशानुसार स्थायी माना जायेगा एवं भविष्य में मान्यता पत्रांक /मान्यता/4672/2013-14 दिनांक 19.02.2014 में उल्लिखित समस्त शर्तों/मानकों का अनुपालन एवं शासन द्वारा जारी किये नवीन शासनादेश भी प्रभावी होंगे। विभाग द्वारा जारी मार्गदर्शी सिद्धान्तों का अनिवार्य रूप से पालन करना होगा

भवदीय,

(बालमुकुन्द प्रसाद)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर

पृ०सं०/ बे०शि०/

/2019-20 उक्तवत।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सहायक शिक्षा निदेशक बेसिक प्रथम मण्डल मेरठ।

2. खण्ड शिक्षा अधिकारी बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर।

3. प्रबन्धक, रेडिएन्ट अकादमी जूनियर हाई स्कूल सोहरखा ब्लाक बिसरख जनपद गौतमबुद्धनगर।

Certified

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
गौतमबुद्धनगर।

For Kailash Academy High School

Ramesh Kumar
Manager

कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी गौतमबुद्धनगर
पत्रांक /मान्यता / 4672 /2013-14 दिनांक 19.02.14

प्रबन्धक,

रेडिएन्ट अकादमी जूनियर हाई स्कूल

सोहरखा ब्लाक बिसरख

जनपद गौतमबुद्धनगर

विषय-निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिये निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2010 के निमम 15 उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिये मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 30.08.2013 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं उपरोक्त विद्यालय को तारीख 01.07.2014 से तारीख 30.06.2017 तक तीन वर्ष की अवधि के लिये कक्षा नर्सरी से कक्षा आठ तक के लिये अंग्रेजी माध्यम की अनंतिम मान्यता प्रदान करने की ससूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किये जाने के अध्याधीन है-

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप से कक्षा 08 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिये कोई मान्यता विवक्षित नहीं है।
 2. विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपाबन्ध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम-2010 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।
 3. विद्यालय कक्षा 1 में (या यथास्थिति नर्सरी कक्षा में) उस कक्षा में बालको की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध करायेगा।
 4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालको के लिये विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तिया प्राप्त करने के लिये विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
 5. सोसाईटी/विद्यालय किसी केपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्क्रीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।
 6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा।
- विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा-

Colifed

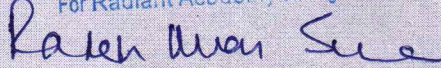
For Radiant Academy Jr. High School
Rakesh Kumar Suresh
Manager

- i. प्रवेश दिये गये किसी भी बालक को विद्यालय मे उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी कक्षा मे फेल नही किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नही किया जायेगा।
 - ii. किसी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अधीन नही किया जायेगा।
 - iii. प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नही की जायेगी।
 - iv. प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किये गये अनुसार एक प्रमाण पत्र प्रदान किया जायेगा।
 - v. अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओ वाले विद्यार्थियो को प्रवेश दिया जाना।
 - vi. अध्यापको की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओ के साथ की जाती है परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताए नही है पाँच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताए अर्जित करेंगे।
 - vii. अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यो को पालन करता है और
 - viii. अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन कियाकलानो मे नियोजित नही करेंगे।
7. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्चा के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
 8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 मे यथाविनिर्दिष्ट विद्यालयो के मानको और सनियमो को बनाये रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाए निम्नानुसार है:-
- | | |
|--|---------------|
| विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल | 1500 मीटर |
| कुल निर्मित क्षेत्रफल | 1200 मीटर |
| कीडा स्थल का क्षेत्रफल | शेष कीडा स्थल |
| कक्षो की संख्या | 18 |
| प्राध्यापक-सहकार्यालय-सहभंडागार के लिये कक्ष | 02 |
| बालक और बालिकाओ के लिये पृथक शौचालय | उपलब्ध है। |
| पेयजल सुविधा | उपलब्ध है। |
| मिड-डे-मील पकाने के लिये रसोई | उपलब्ध है। |
| बाधारहित पहुँच | है। |
| अध्यापक पठन सामग्री/कीडा खेलकूल उपकरणो/पुस्तकालय की उपलब्धता | -है। |
9. विद्यालय के परिसरो के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाए नही चलायी जायेगी।
 10. विद्यालय भवनो या अन्य संरचनाओ या कीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनो के लिये किया जाता है।

For Radian Academy Jr. High School
Rana Usha Sui
 Manager

11. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
12. स्कूल को किसी व्यक्ति, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिये नहीं चलाया जा रहा है।
13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
14. आपके विद्यालयों को आवंटित मान्यता कोड संख्यांक **CA 2H5-65** है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिये इस संख्यांक का उल्लेख करें।
15. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय समय पर शिक्षा निदेशक/जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार/स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने वाले या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिये जारी किए जाये।
16. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकरण के नवीकरण यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाये तथा प्रति छात्र/छात्राओं के बैठने हेतु 09 वर्ग फीट का स्थान निर्धारित करे।
17. संलग्न उपाबंध के अनुसार अन्य कोई शर्त।


जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
मौतमबुद्धनगर

For Radiant Academy Jr. High School

Manager